न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीनिधि. बी.टी, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 20/2017 RCMS No. 2019/00245

दायरा तिथि : 19.12.2017

आदेश तिथि : 2-12-2019

प्रार्थीनी :–

श्रीमति केली पत्नि हंसाराम जाति मीणा
निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र ईदाजी जाति मीणा
2. अचलाराम पुत्र ईंदाजी जाति मीणा
3. श्रीमति पंखुदेवी पत्नि लखारामजी जाति मीणा
4. भूताराम पुत्र लुम्बाराम जाति मीणा
   निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित नियम–68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

आदेश दिनांक : 2-12-2019

प्रार्थीया ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि सेवाडी के खसरा नंबर 3085 रकबा 1.87 हैक्टर किस्म नहरी सोयम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अन्य खातेदार श्रीमति पंखूदेवी पत्नि सखाराम जाति मीणा की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 3088 रकबा 0.22 हैक्टर एवं मांगीलाल अचलाराम पिसरान् ईदा जाति मेणा की सह खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 3087 रकबा 0.28 हक्टर मे से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियॉ भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही अप्रार्थी को आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 ने व्यक्तिशः न्यायालय में दिनांक 13.03.2018 को आक्षेप पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया पूर्व में खसरा नंबर 3081 मेंसे होकर अपनी भूमि में आना जाना करती आ रही है, वर्तमान प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया है, सही तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के अडोअड रास्ता न होकर खसरा नंबर 3118 गैर मुमकिन नहर दर्ज है। प्रार्थीया ने नहर को रास्ता बताकर उक्त रास्ते की भूमि मेंसे रास्ते की की मांग की है जो गलत होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने की मांग की गई। तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/ राजस्व/ 2018/ 565 दिनांक 23.03.2018 से न्यायालय आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3087 व 3088 मेंसे कुल 272 वर्गमीट क्षैत्रफल प्रार्थीया की भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित किया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मेंसे रास्ता दिये जाने बाबत् आपत्ति की जाने से एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नक्शे के अवलोकन से प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3085 में प्रवेश के लिये निकटतम रास्ता खसरा नंबर 3086 के कोने (उत्तरी–पुर्वी) दिशा में जाहिर होने से न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.01.2019 से पुनः रिपोर्ट तलबी के आदेश दिये गये, एवं साथ ही खसरा नंबर 3086 के खातेदार भूताराम पुत्र लुम्बाराम जाति मीणा को अपना पक्ष प्रस्तुती के लिये नोटिस जारी किया गया। न्यायालय की आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/ राजस्व/ 2019/1375 दिनांक 30.07.2019 से खसरा नंबर 3086 रकबा 0.38 हैक्टर मेंसे 192 वर्गमीटर का रास्ता प्रस्तावित किया। खसरा नंबर 3086 के खातेदार भूताराम पुत्र लूम्बाराम को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ, जिनकी ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारीसिंह देवडा ने वकालतनामा पेश कर जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर दिनांक 30.07.2019 को तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संबध में वकील प्रार्थी श्री श्रवणसिंह चौहान एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री गिरधारीसिंह देवडा की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी दोनों ने बहस कर दलील दी कि प्रार्थीया द्वारा खसरा नंबर 3087 व 3088 की भूमि से रास्ता दिलाये जाने का

पेज लगातार 02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 20/2017 RCMS No. 2019/00245

अनवान केली बनाम बनाम मांगीलाल वगैरा अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

निवेदन किया गया था, जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भी अपने कार्यालय पत्रांक/ राजस्व/ 2018/ 565 दिनांक 23.03.2018 से भिजवाई जा चुकी है, जिस रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3087 व 3088 मेंसे कुल 272 वर्गमीट क्षैत्रफल प्रार्थीया की भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित किया था, इसके बावजूद न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट मांगी गई है, जो उचित नहीं होने से प्रार्थीया के आवेदन पत्र के संबध में तहसीलदार, बाली के पत्रांक/ राजस्व/ 2018/ 565 दिनांक 23.03.2018 से भिजवाई रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3087 व 3088 मेंसे ही रास्ता दिलाये जाने की दलील दी गई। दोनो पक्षो की दलीलो पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि प्रार्थीया के आवेदन अनुसार खसरा नंबर 3087 व 3088 मेंसे प्रार्थीया को रास्ता उपलब्ध कराये जाने के संबध में न्यायालय द्वारा रिपोर्ट तलब की गई है, जिस रिपोर्ट में तहसीलदार, बाली कुल 272 वर्गमीटर क्षैत्रफल रास्ते के लिये प्रस्तावित किया है, तथा खसरा नंबर 3087 व 3088 के खातेदारो अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने भी अपनी भूमि से प्रार्थीया को रास्ता देने बाबत् एतराज पेश किया है। जिस संदर्भ में न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट निकटतम वैल्पिक रास्ते के संबध में तहसीलदार, बाली से तलब की गई है, जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा खसरा नंबर 3086 की भूमि मेंसे 192 वर्गमीटर का रास्ता प्रस्तावित किया हैं। इस प्रकार दोनो रिपोर्टो के अवलोकन से प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि न्यायालय द्वारा तलब दूसरी रिपोर्ट का रास्ता निकटतम है, तथा क्षैत्रफल भी कम प्रभावित है। दूसरी रिपोर्ट के संबध में वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी संख्या–04 की यह आपत्ति हैं कि न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट स्व विवेक से मंगाई गई है, जिससे इस रिपोर्ट के अनुसार रास्ता नहीं दिया जाकर पुर्व रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 3087 व 3088 मेंसे ही रास्ता दिया जावे। इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 क के प्रावधानो अनुसार **अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना (1) जहां– (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है** या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है– **और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता हैं, तो एक अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान होता है कि–**

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह केवल जोत सुविधजनक उपभोग के लिए नहीं हैं, और (ii) अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधान का अभाव सिद्व किया गया है:–

तो, आदेश द्वारा, आवेदन को, उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि **मेंसे होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौडा करने के लिए उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये,** ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 क में विधि के प्रावधानो अनुसार **निकटतम रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत् प्राविधित किया गया है,** जिससे वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी संख्या–04 द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज किया जाता हैं। एवं प्रार्थीया को उसकी खातेदारी भूमि सेवाडी के खसरा नंबर 3085 रकबा 1.87 हैक्टर में आवागमन के लिये तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक / राजस्व/ 2019/1375 दिनांक 30.07.2019 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 3086 रकबा 0.38 हैक्टर मेंसे 192 वर्गमीटर का रास्ता तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप नियमो के नियम–70(ii)(क) के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रतिकर राशि निर्धारित कर उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ख. नं.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर) व किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल (व. मी.)	डीएलसी दर 99900/– रूपये प्रति बीघा की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि (डीएलसी दर की दुगुनी)	प्रभावित खातेदार का नाम
3086	0.38 हैक्टर नहरीसोयम	**48x4=192 व.मी**	62.43	23977/–	भूताराम पुत्र लुम्बाराम जाति मेणा नि. सेवाडी

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 20/2017 RCMS No. 2019/00245

अनवान केली बनाम बनाम मांगीलाल वगैरा अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

तहसीलदार, बाली के प्रतिवेदनानुसार प्रस्तावित रास्ते मे अन्य कोई क्षति यथा वृक्ष/संरचना/निर्माण कारित नही है। अतः राशि रूपये **23977/–** अक्षरे **तेईस हजार नौ सो सततर रूपये** बतौर प्रतिकर उपरोक्त खातेदार को देय होंगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क)(2) के तहत स्वीकृत रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बतौर "रास्ता" राजकीय खाते में दर्ज की जावेगी एवं आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आवेदक को अर्जित नही होगे। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुसार नक्शे में **192 वर्गमीटर** नया रास्ता की तरमीम के साथ राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावेगा। आवेदक द्वारा राशि रूपये **23977/–** अप्रार्थी प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी प्रभावित खातेदार/अप्रार्थी द्वारा आवेदक से प्रतिकर राशि ग्रहण नही करने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि बतौर अमानत तहसील कार्यालय, बाली में जमा करवाई जावेगी तथा तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त राशि प्रभावित खातेदारान् को उपलब्ध कराई जावेगी। तहसीलदार द्वारा बाली द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार बाली आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि के भुगतान की सुनिश्चितता कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 21-12-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sreenidhi

(श्री श्रीनिधिं बी.टी,)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक :

क्रमांक : कोर्ट/2019/

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, बाली
2. भू.अ.निरीक्षक, सेवाडी
3. पटवारी हल्का, सेवाडी
4. तहसील राजस्व लेखाकार, बाली
5. प्रार्थीया श्रीमति केली पत्नि हंसाराम जाति मीणा निवासी सेवाडी

Sreenidhi

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.12.06 15:57:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: